08-6-2023

अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 848 /XXV–12(14)/2018 देहरादून : दिनांक 08 जून, 2023

सेवा में,

श्री वैभव कुमार अग्रवाल,
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल,
नम्बरदार, धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़,
भगवानपुर, जिला हरिद्वार

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपीलीय पत्र दिनांक 12 मई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा दो अनुरोध पत्र दिनांक 17.4.2023 इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें क्रमशः 3 एवं 2 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जिस अनुरोध पत्र में 03 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–612 दिनांक 24 अप्रैल 2023 द्वारा अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग को हस्तान्तरित किया गया है जिसकी सूचना आपको भी प्रेषित की गयी है।

2– द्वितीय अनुरोध पत्र दिनांक 17.4.2023 जिसमें 02 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–615 दिनांक 24.4.2023 द्वारा सूचना कार्यालय में धारित न हाने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत करा दिया गया है।

आपके अपीलीय पत्र सम्बन्ध में अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक **21 जून 2023 की तिथि समय– 02:30 बजे अपरान्ह** निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियत दिनांक व समय पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन, अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़, देहरादून में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
मो0नं0–9897995591

पृ0संख्या– 848 /XXV–12(14)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

अपील

प्राप्त - 16/05/23

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

Pramod Kumar
Stamp Vender L. No. 205/B
Tehsil Bhagwanpur, Haridwar
Mob.: 8958944889

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK50513437313721V
Certificate Issued Date	:	06-May-2023 11:51 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1220604/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122060407157735933738V
Purchased by	:	VAIBHAV AGARWAL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VAIBHAV AGARWAL
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	VAIBHAV AGARWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

Vaibhav Agarwal

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सेवा में

श्रीमान विभागीय अपीलीय अधिकारी
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल
सचिवालय परिसर 4, सुभाष रोड़
देहरादून – 248001

विषय : प्रथम अपील दर्ज करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने के सम्बंध में।

महोदय,

अनुरोध के साथ अवगत करना है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सम्बोधित पत्र सं0 शून्य दिनांक 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से 2 बिन्दुओं पर सूचनाए चाही गई थी। उक्त अनुरोध पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक सं0 612/XXV-53(P-14)/2021 देहरादून दिनांक 24 अप्रैल 2023 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास लाडपुर रोड, देहरादून को सूचनाएं उपलब्ध कराने की बाबत हस्तान्तरित किया गया। परन्तु आज दिनांक 05 मई 2023 तक प्रार्थी को चाही गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के बजाय कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्रांक 615/XXV-53(P-14)/2021 देहरादून 24 अप्रैल 2023 के माध्यम से अनुरोध पत्र हस्तांन्तरण न होने के सम्बंध में प्रार्थी को अवगत कराया गया। सूचनांए धारित

अतः आपसे सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम अपील दर्ज कर अनुरोध पत्र में वर्णित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आपकी महती अनुकंपा होगी।

संलग्नक : 1. सूचना की बाबत अनुरोध पत्र की छाया प्रति – 02.
2. कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सं0 615/XXV-53(P-14)/2021 देहरादून 24 अप्रैल 2023 की छाया प्रति 01

नोट :–
1. 10 रुपये का स्टाम्प (स्टाम्प नं. IN-UK50513437313721V) संलगनक है।

दिनांक : 12–05–2023

प्रार्थी Vaibhav Agarwal

वैभव अग्रवाल
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल
नम्बरदार धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़
भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उ0ख0
मो0 : 9837827913

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या– 612 /XXV– 53(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2023

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास
लाडपुर रोड़, देहरादून।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक श्री वैभव अग्रवाल, पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल, नम्बरदार धर्मकांटा, चुडियाला रोड़ भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 17.04.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या– 612 /XXV– 53(P-14) /2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि– श्री वैभव अग्रवाल, पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल, नम्बरदार धर्मकांटा, चुडियाला रोड़ भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या– 615 / XXV– 53(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक 24 अप्रैल, 2023

सेवा में,

श्री वैभव अग्रवाल,
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल,
नम्बरदार धर्मकांटा,
चुडियाला रोड़ भगवानपुर,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड मो0नं.–9837827913

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पत्र दिनांक 17.04.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त हुआ है, के बिन्दु संख्या–1, एवं 2 में वांछित बिन्दु से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है अपील दायर कर सकते है:–

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001

भवदीय,
B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव आयुक्त

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी को आपके कार्यालय से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यतायें है।

1. नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की पात्रता/योग्यता से सम्बंधित शासनादेश/विवरणनिका की प्रमाणित छाया प्रति।
2. नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के बच्चों से सम्बंधित शासनादेश की प्रमाणित छाया प्रति।
3. यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कानूनन एक बच्चें को दत्तक पूत्र/पुत्री के रुप में ग्रहण करता है तो वह बच्चा गोदनामा जोकि कानून का पालन कर रजिस्टड कराया गया था वह बच्चा जैविक पिता के परिवार का सदस्य होगा या जिस पिता ने दत्तक पुत्र/पुत्री के रुप में उसे ग्रहण किया उस परिवार का सदस्य होगा ? कृपया उपरोक्त पुत्र/पुत्री की सदस्यता से सम्बंधित स्थिति की सूचना स्पष्ट करते हूए सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

नोट :-

1\. 10 रुपये का स्टाम्प (स्टाम्प नं. IN-UK45505094452569V) संलगनक है।

दिनांक : 17-04-2023

प्रार्थी
Vaibhav Agarwal

वैभव अग्रवाल
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल
नम्बरदार धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़
भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उ...
मो0 : 9837827913

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चुनाव आयुक्त

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी को आपके कार्यालय से सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यतायें है।

1. एक व्यक्ति अपने सगे भाई की लड़की जिसका जन्म 23 मार्च 2017 को हुआ दिनांक 9 जनवरी 2018 को दूसरे अविवाहित भाई द्वारा दत्तक पुत्री के रुप में अपनाया गया।
2. जन्म प्रमाण पत्र में लड़की के जैविक पिता का नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में उक्त लड़की जैविक पिता के परिवार का सदस्य होगी या दत्तक पिता के परिवार का सदस्य होगी।

उक्त प्रकरण से सम्बंधित स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी महती अनुकम्पा होगी।

नोट :–

1. 10 रुपये का स्टाम्प (स्टाम्प नं. IN-UK45505754263116V) संलगनक है।

दिनांक : 17–04–2023

प्रार्थी

Vaibhav Agarwal

वैभव अग्रवाल
पुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल
नम्बरदार धर्मकांटा, चुड़ियाला रोड़
भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उ0ख0
मो0 : 9837827913